प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला बीकानेर – **थाना प्रधान आरक्षी केन्द्र, प्र.नि.ब्यूरो जयपुर**.....वर्ष ....2022.....
2. प्र.इ.रि.सं.....36...../2022..... दिनांक .....8/2/22.....
   (I) * अधिनियम – **भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018**..... धारा –7.....
   (II) * अधिनियम भा.द.सं. धारा – .....–.....
   (III) * अधिनियम.....–..... धाराएं.....–.....
   (IV) * अन्य अधिनियम एवं धाराएं .....–.....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या .....145.....समय.....5:30 P.M.....
   (ब) अपराध घटने का दिन व समय– ....गुरूवार **दिनांक 07.02.2022 वक्त 02:33** पीएम.....
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक – .....04.02.2022 वक्त 02:00 पी.एम..... .....
4. सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक – **लिखित**
5. घटनास्थल :–
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – **बजानिब उत्तर–पूर्व करीब 70 किलोमीटर**
   (ब) पता – कार्यालय सहायक अभियंता (वितरण), जोधपुर विद्युत वितरण निगर लिमि, लूणकरणसर, जिला बीकानेर
   बीटसंख्या.....–.....जुरायमदेही सं.....
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो पुलिस थाना .....–.....
6. परिवादी /सूचनाकर्ता :–
   (अ) नाम – **श्री मुरलीधर**
   (ब) पिता/पति का नाम – **श्री बीरबलराम**
   (स) जन्म तिथि/आयु – 34 वर्ष
   (द) राष्ट्रीयता – भारतीय
   (य) पासपोर्ट संख्या..... जारी होने की तिथि..... जारी होने की जगह .....
   (र) पेशा – कृषक
   (ल) पता – गांव किशनासर, तहसील लूणकरणसर, जिला बीकानेर
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :–
   मुबारक अली पुत्र श्री मोहम्मद आमीन, जाति मुसलमान, आयु 35 वर्ष, निवासी गली नंबर 13, धोबी तलाई, रानी बाजार, बीकानेर हाल वाणिज्यक सहायक प्रथम, कार्यालय सहायक अभियंता (वितरण) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, लूणकरणसर, जिला बीकानेर
8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :– **कोई विलम्ब नहीं।**
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये).....
10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य रिश्वती राशि **1,000/– रूपये** .....–.....
11. पंचनामा यू॰ डी॰ केस संख्या (अगर हो तो) .....–.....
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये) :–

महोदय,

निवेदन है कि दिनांक 04.02.2022 को श्री मुरलीधर पुत्र श्री बीरबलराम, जाति जाट, उम्र 34 वर्ष, निवासी गांव किशनासर, तहसील लूणकरणसर, जिला बीकानेर ने कार्यालय हाजा पर उपस्थित होकर एक लिखित रपोर्ट मन पुलिस निरीक्षक आनन्द मिश्रा के समक्ष इस आशय की पेश की कि सेवा में, श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक साहब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर विषय : लूणकरणसर बिजली विभाग के बाबू मुबारक खान द्वारा रिश्वत मांगने पर रंगे हाथों पकडवाने हेतु। महोदय, निवेदन है कि मैं मुरलीधर पुत्र बीरबलराम जाति जाट, निवासी किशनासर, तहसील लूणकरणसर, जिला बीकानेर का रहने वाला हूं। हमारी रिश्तेदार सीमा पत्नी मूलाराम जाट निवासी गुसाईंसर के नाम से मेरे पिताजी बीरबलराम के खेत में 2 बीघा जमीन है। उस जमीन पर सीमा पत्नी मूलाराम के नाम से कृषि कनैक्शन फाईल स्वीकृत हुई है। उक्त कनैक्शन स्वीकृत होने के बाद हमारी रिश्तेदार सीमा पत्नी मूलाराम द्वारा मुझे लूणकरणसर बिजलीघर में संपर्क करके बिजलीघर की सारी कार्यवाही करवाने तथा कृषि कुंए कनैक्शन का सामान बिजलीघर से प्राप्त करने की कार्यवाही हेतु मुझे निर्देश दिए गए थे। यह कनैक्शन हमारे खेत के बीच में है व हमारी रिश्तेदार सीमा पत्नी मूलाराम द्वारा बाद में यह कनैक्शन हमारे नाम करने की सहमति हो रखी है। उक्त कृषि विद्युत कनैक्शन स्वीकृत होने के बाद कुंए के बिजली कनैक्शन के लिए बिजलीघर से सामान प्रापत किया जाता है, उक्त सामान में से लगभग सामान मिल चुका है तथा मुख्य आइटम ट्रांसफार्मर व डी.ओ. लूणकरणसर बिजलीघर से मिलना शेष है। हमारी फाईल नंबर 77 है। यह काम करवाने के लिए मैं पिछले लगभग 8 महीने से लूणकरणसर बिजली विभाग में क्लर्क मुबारक खान के चक्कर लगा रहा हूं। लेकिन मुबारक खान द्वारा फाईल में बार बार कोई न कमी बताकर रिश्वत की मांग की जाती है। मैं पूर्व में मुबारक

खान को दो बार 5000–5000 रुपये व घी दे चुका हूं। मैं आज सुबह पुनः गया तो मुबारक खान ने मुझसे ट्रांसफार्मर व डी.ओ. जारी करने के लिए पुनः 5000 रुपयों की मांग की है। मैं हमारे जायज काम के लिए मुबारक खान क्लर्क को कोई रिश्वत नहीं देना चाहता हूं तथा उसको रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं। कृपा करके कानूनी कार्यवाही करें। भवदीय एसडी मुरली, मुरलीधर पुत्र बीरबलराम जाति जाट, निवासी किशनासर, तहसील लूणकरणसर, जिला बीकानेर 9610405547, दिनांक 04.02.2022, परिवादी श्री मुरलीधर की लिखित शिकायत का अवलोकन किया गया। मजीद दरियाफत पर श्री मुरलीधर पुत्र श्री बीरबलराम, जाति जाट, उम्र 34 वर्ष, निवासी गांव किशनासर, तहसील लूणकरणसर, जिला बीकानेर ने बताया कि यह प्रार्थना पत्र मैंने मेरे विश्वासपात्र व्यक्ति से टाईप करवाकर पढवा लिया है जो सही है। जिस पर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पुनः शब्द ब शब्द परिवादी को पढकर सुनाया गया तो इसमें लिखे तथ्य सही सही होना स्वीकार किया तथा प्रार्थना पत्र पर बतौर मुरलीधर अपने ही हस्ताक्षर होना बताया। परिवादी मुरलीधर ने बताया कि मैं लूणकरणसर बिजलीघर में क्लर्क मुबारक खान के चक्कर लगाते लगाते थक चुका हूं व पूर्व में भी रिश्वत दे चुका हूं। मैं मुबारक खान को अब आगे और रिश्वत नहीं देना चाहता हूं। कृषि कनैक्शन नहीं मिलने के कारण हमारी रिश्तेदार सीमा पत्नी मूलाराम की फसल खराब हो रही है। मेरा मुबारक खान क्लर्क से कोई उधारी का लेन देन नहीं है तथा कोई रंजिश भी नहीं है। सीमा पत्नी मूलाराम से संबंधित मेरे पक्ष का उचित दस्तावेज/प्रार्थना पत्र मैं आपको प्रस्तुत कर दूंगा। परिवादी की रिपोर्ट के तथ्यों के संबंध में श्रीमान अति पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो, बीकानेर जो मुख्यालय से बाहर हैं, को जरिये दूरभाष निवेदन कर अग्रिम कार्यवाही प्रारंभ की गई जिसमें परिवादी श्री मुरलीधर को रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने के संबंध में प्रक्रिया से अवगत करवाया गया। परिवादी श्री मुरलीधर ने बताया कि मैं आज शाम को ही मुबारक खान क्लर्क से उसके कार्यालय बिजलीघर लूणकरणसर में रुबरु होकर हमारे कृषि कनैक्शन का सामान जारी करवाने के संबंध में बातचीत करके उसकी रिश्वत की मांग का सत्यापन करवा सकता हूं। इस पर श्री मनोहरलाल, कानि 115 को मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने कक्ष में बुलाकर चौकी के मालखाना से डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय नया मेमोरी कार्ड लाने के निर्देश पर श्री मनोहरलाल कानि ने मालखाना प्रभारी श्री राजवीर हैड कानि 115 से प्रापत कर प्रस्तुत किया। तत्पश्चात श्री मनोहरलाल कानि का मौजूदा परिवादी मुरलीधर से आपसी परिचय करवाया। डिजिटल टेप रिकॉर्डर में वार्ता रिकॉर्ड करने हेतु इसे चालू व बंद करने की प्रक्रिया से परिवादी एवं श्री मनोहरलाल कानि. को समझाया गया। तत्पश्चात् नया मेमोरी कार्ड डिजिटल टेप रिकॉर्डर में स्थापित किया गया। श्री मनोहरलाल कानि. को निर्देश दिए गए कि सत्यापन के दौरान परिवादी को आरोपी से संपर्क करने हेतु रवाना करते समय सावधानीपूर्वक डिजिटल टेप रिकॉर्डर को चालू करके परिवादी को सुपुर्द करें। तत्पश्चात् परिवादी के साथ श्री मनोहरलाल, कानि को परिवादी श्री मुरलीधर के साथ रिश्वत की मांग का सत्यापन करवाने हेतु लूणकरणसर बिजलीघर के लिए रवाना किया गया।

वक्त 06:30 पीएम पर मन पुलिस निरीक्षक ने श्री मनोहरलाल कानि से जरिये दूरभाष वार्ता की। श्री मनोहरलाल कानि ने बताया कि परिवादी को डिजिटल टेप रिकॉर्डर देकर संदिग्ध से वार्ता हेतु रवाना किया था। करीब 10–15 मिनट बाद परिवादी ने वापस आकर टेप रिकॉर्डर मुझे दे दिया जिसे मैंने बंद करके अपने पास सुरक्षित रखा है। परिवादी ने आरोपी से वार्ता की है। आरोपी मुबारक ने परिवादी से 1000 रुपये रिश्वत की मांग की है। परिवादी अब रात्रि होने के कारण अपने घर जाना जरुरी होना बताने से श्री मनोहरलाल कानि को चौकी हाजा पहुंचने के निर्देश दिए गए तथा परिवादी की वार्ता अनुसार ट्रेप कार्यवाही के सफल आयोजन हेतु दिनांक 07.02.2022 को ब्यूरो कार्यालय पहुंचने के निर्देश दिए गए। वक्त 08:20 पीएम पर श्री मनोहरलाल कानि ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया। डिजिटल टेप रिकॉर्डर मन पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द करते हुए बताया कि आपके निर्देशानुसार परिवादी को उसके गांव के लिए रुखसत कर दिया था। मैं जरिये बस रवाना होकर चौकी आया हूं। डिजिटल टेप रिकॉर्डर को चालू करके सुना गया तो वार्ता रिकॉर्ड होनी पाई गई व परिवादी तथा कानि मनोहरलाल द्वारा अवगत करवाए गए तथ्यों की ताईद हुई। डिजिटल टेप रिकॉर्डर मन पुलिस निरीक्षक ने अपने पास सुरक्षित रखा।

दिनांक 07.02.2022 को परिवादी श्री मुरलीधर से जरिये दूरभाष संपर्क होने पर परिवादी ने अवगत करवाया कि मैं अभी लूणकरणसर से रवाना हो चुका हूं। लगभग एक घंटे में ब्यूरो पहुंच जाउंगा। इस पर अग्रिम कार्यवाही में. दो स्वतंत्र गवाह की आवश्यकता होने से अति मुख्य अभियंता, पीएचईडी, विभाग के नाम तहरीर मुर्तिब कर श्री मनोहरलाल कानि को गवाह तलबी हेतु रवाना किया गया। इसी दौरान एसयू कार्यालय से श्री दलीप खत्री पुलिस निरीक्षक एवं स्टाफ श्री मंगतुराम कानि को ट्रेप कार्यवाही आयोजन के संबंध में चौकी हाजा पर आने हेतु निवेदन किए जाने पर चौकी पर उपस्थित हुए हैं। वक्त 10:20 एएम पर परिवादी श्री मुरलीधर उपस्थित चौकी आया। परिवादी मुरलीधर ने दिनांक 04.02.2022 को संदिग्ध अधिकारी मुबारक खान से हुई वार्ता के तथ्यों को दोहराया। परिवादी ने अपने पिता बीरबलराम द्वारा श्रीमती सीमा पत्नी मूलाराम जाट निवासी गुसाईंसर को 2 बीघा कृषि भूमि का विक्रय पत्र एवं श्रीमती सीमा देवी पत्नी मूलाराम निवासी गुंसाईसर द्वारा परिवादी मुरलीधर को मुखत्यार आम नियुक्त किए जाने से संबंधित मुखत्यार आम दस्तावेज की स्व प्रमाणित प्रतियां तथा एसीबी कार्यवाही हेतु मुरलीधर को अधिकृत किए जाने का एक अधिकार पत्र प्रस्तुत किया। जो बाद अवलोकन शामिल कागजात किए गए। तत्पश्चात् रिकॉर्ड सत्यापन वार्ता के डिजिटल टेप रिकॉर्डर को कार्यालय कंप्यूटर पर कनैक्ट करके रिकॉर्ड वार्ता को परिवादी

की उपस्थिति में सुन–सुनकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट बनाई गई। डिजिटल टेप रिकॉर्डर स्थापित मेमोरी कार्ड को अग्रिम कार्यवाही में उपयोग में लेने के लिए डिजिटल टेप में ही रहने दिया गया। उक्त वार्ता की तैयार की गई दो डीवीडी में से एक डीवीडी को सील किया गया व एक डीवीडी को खुला रखा गया। वक्त 12:05 पीएम पर श्री मनोहरलाल कानि ट्रेप कार्यवाही हेतु कार्यालय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, बीकानेर से स्वतंत्र गवाह के रुप में श्री धर्मेंद्र चौहान कनिष्ठ सहायक व श्री हरीराम तिवाडी सहा. प्रशा. अधिकारी को हमराह लाकर प्रस्तुत किया जिन्हें बाद परिचय ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए। कुछ देर बाद उपस्थित आए दोनों कार्मिकों को मौजूदा परिवादी श्री मुरलीधर से आपसी परिचय करवाया गया। कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाहे जाने पर दोनों ने अपनी अपनी सहमति जाहिर की तत्पश्चात् दोनों कार्मिकों को ट्रैप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह शामिल किया गया व परिवादी के द्वारा ब्यूरो में प्रस्तुत रिपोर्ट के तथ्यों के संबंध में तथा आरोपी द्वारा की जा रही रिश्वत मांग के तथ्यो के बारे में भली भांति अवगत करवाया गया। तत्पश्चात् परिवादी श्री मुरलीधर ने मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देश पर ट्रैप कार्यवाही हेतु अपने पास से 500–500 रूपये के 2 नोट निम्न वर्णन के प्रस्तुत किए–

क्र.	नोट का विवरण	नम्बर नोट
1.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	8AL 777042
2.	एक 500 रूपये का नोट नम्बर	8AL 777043

उक्त सभी नोटों पर श्री अशोक कुमार कानि नंबर 81 भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बीकानेर से फिनोल्फथलीन पाउड़र की शीशी मालखाना से निकलवाकर उक्त सभी नोट एक अखबार के कागज पर रखवाकर उक्त कानि. से सभी नोटों पर फिनोल्फथलीन पाउडर लगवाया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री मुरलीधर की जामा तलाशी गवाह श्री हरिराम तिवाड़ी से लिवाई जाकर परिवादी के पास मोबाईल व पहने हुए कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं रहने दिया व उक्त पाउडर युक्त नोट 1,000/– रूपये परिवादी के पहनी हुई पेंट की दाहिनी जेब में श्री अशोक कुमार कानि. से रखवाये गये। परिवादी को हिदायत दी गई कि वह आरोपित से मिलने पर रिश्वती लेन देन के दौरान एवं रिश्वती लेनदेन हो जाने के बाद आरोपित से हाथ नहीं मिलावें, रिश्वती राशि आरोपित द्वारा मांगे जाने पर उसे देवे, लेन देन से पूर्व रिश्वती राशि को नहीं छुए, आरोपित रिश्वती राशि प्राप्त करके कहां रखता है उसका ध्यान रखे एवं रिश्वती राशि देने के बाद किसी बहाने से बाहर आकर ट्रेप पार्टी सदस्यों को देखते हुवे अपने सिर पर दोनों हाथों को फेरकर ईशारा करें तथा यदि बाहर आकर ईशारा करना सम्भव न हो तो अपने मोबाईल से मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर मिस कॉल/कॉल करके ईशारा करे। तत्पश्चात एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी भरवाया जाकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार किया गया जो रंगहीन रहा। रंगहीन घोल के गिलास में श्री अशोक कुमार कानि. के हाथों की अंगुलियों व अंगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी व गवाहान को दृष्टांत कार्यवाही करके दिखाई गई एवं सोडियम कार्बोनेट एवं फिनोल्फथलीन पाउडर की आपसी रासायनिक प्रतिक्रिया एवं उसका महत्व भी गवाहान व परिवादी को समझाया गया। जिस अखबार के कागज पर रखकर उक्त नोटों पर फिनोल्फथलीन पाउडर लगाया गया था उसे जलवाकर नष्ट करवाया गया। उक्त रासायनिक घोल को बाहर फिंकवाया जाकर उक्त गिलास को साफ पानी व साबुन से धुलवाया गया। श्री अशोक कुमार कानि. के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये तथा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ भी साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। तत्पश्चात परिवादी को डिजीटल टेप रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड जो पूर्व से इस कार्यवाही में प्रयुक्त किया जा रहा है को सुपुर्द कर हिदायत की गई कि आरोपी श्री मुबारक खान लिपिक से रिश्वती लेन–देन के वक्त होने वाली वार्ता को रिकार्ड करें। इसके पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक आनन्द मिश्रा मय परिवादी श्री मुरलीधर एवं स्वतंत्र गवाह श्री धर्मेंद्र चौहान कनिष्ठ सहायक व श्री हरीराम तिवाडी सहा. प्रशा. अधिकारी तथा ब्यूरो स्टाफ श्री दिलीप कुमार खत्री पुलिस निरीक्षक, नरेंद्र सिंह हैड कानि., मंगतुराम हैड कानि, हरीराम कानि., भगवान कानि, मनोहरलाल कानि., रतन सिंह कानि जरिये सरकारी टवेरा एवं निजी कार से ट्रैप बॉक्स लैपटॉप प्रिंटर इत्यादि ट्रैप सामग्री हमराह लेकर वास्ते ट्रैप कार्यवाही लूणकरणसर के लिए रवाना हुआ। लूणकरणसर पहुंचकर परिवादी को पूर्व में सुपुर्दशुदा डिजिटल टेप रिकॉर्डर चालू करवाया गया व निजी वाहन से परिवादी के बताए अनुसार उचित स्थान पर बिजलीघर लूणकरणसर के नजदीक उतारकर आरोपी से संपर्क करने हेतु रवाना किया। तत्पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक मय श्री अनिल कानि, मनोहर कानि, रतन कानि व हरीराम कानि तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान के लूणकरणसर बिजलीघर परिसर में प्रवेश करके अपनी अपनी उपस्थिति छुपाते हुए गोपनीय रूप से परिवादी के ईशारे के इंतजार में मुकीम हुए। श्री दिलीप खत्री पुलिस निरीक्षक व शेष ब्यूरो स्टाफ को मय सरकारी वाहन चालक ज्ञानेंद्र सिंह कानि. के राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिजलीघर परिसर के आस पास सुविधाजनक ढंग से तैनात रहने व सूचना मिलने पर निर्देशानुसार कार्य करने के निर्देश दिए गए।

वक्त 02:33 पीएम पर परिवादी श्री मुरलीधर ने अपने मोबाईल नंबर 9610405547 से मन् पुलिस निरीक्षक आनन्द मिश्रा के मोबाईल नंबर 9785180848 पर मिस कॉल कर रिश्वती राशि लेन–देन का पूर्व निर्धारित ईशारा प्राप्त होने पर मन् पुलिस निरीक्षक मय श्री अनिल कुमार कानि. नंबर 186 के साथ सहायक अभियंता कार्यालय जोधपुर डिस्कॉम, लूणकरणसर, जिला बीकानेर के भवन के चैनल गेट के पास पहुंचा, जहां परिवादी श्री मुरलीधर उपस्थित मिला तथा परिवादी के पास दोनों स्वतंत्र गवाह श्री धर्मेन्द्र चौहान, श्री हरिराम तिवाड़ी मय ब्यूरो स्टाफ के श्री हरिराम कानि. नंबर 210, श्री मनोहरलाल कानि. नंबर 115, श्री रतन सिंह कानि. नंबर 151 उपस्थित मिले। परिवादी से डिजिटल टेप रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी श्री मुरलीधर ने बताया कि श्री मुबारक खान बाबू अपने कमरे में अपनी सीट पर बैठा है, जिसने मेरे से अभी अभी रिश्वती राशि 1000/–रूपये अपने बांये हाथ में लेकर अपनी पहनी हुई जींस पेंट की सामने की बांयी जेब में रखे हैं। इसी दौरान निर्देशानुसार श्री दिलीप कुमार खत्री पुलिस निरीक्षक, श्री मंगतुराम हैड कानि., श्री नरेन्द्र कुमार हैड कानि. व श्री भगवानदास कानि. जरिए सरकारी वाहन टवेरा मय चालक श्री ज्ञानेन्द्र सिंह के उपस्थित आये। मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री मुरलीधर, दोनों गवाह व ब्यूरो स्टाफ को साथ लेकर परिवादी के बताये अनुसार सहायक अभियंता कार्यालय के कमरा नंबर 6, जिस पर कनिष्ठ अभियंता लिखा था, में पहुंचा, जहां टेबल के सामने लगी कुर्सी पर एक व्यक्ति बैठा मिला, जिसकी तरफ परिवादी ने ईशारा कर बताया कि साहब यही मुबारक खान बाबू है, जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना व हमराहियान का पूर्ण परिचय उस व्यक्ति को देकर उसका परिचय पूछा तो अपना नाम मुबारक अली पुत्र श्री मोहम्मद आमीन, आयु 35 वर्ष, निवासी गली नंबर 13, धोबी तलाई, रानी बाजार, बीकानेर हाल वाणिज्यक सहायक प्रथम, कार्यालय सहायक अभियंता(वितरण) जोधपुर डिस्कॉम लूणकरणसर, जिला बीकानेर होना बताया। श्री मुबारक अली से परिवादी श्री मुरलीधर से रिश्वती राशि प्राप्त करने के संबंध में पूछने पर बताया कि साहब मैंने अभी अभी मुरलीधर से 1000/–रूपये लिये हैं, जो मैंने इसको करीब 6 माह पूर्व उधार दिये थे। उधार दी हुई राशि मैंने अभी प्राप्त की है, जो मेरी पहनी हुई पेंट की सामने की बांयी जेब में है। परिवादी ने स्वतः ही बताया कि साहब ये झूठ बोल रहे हैं मैंने इनसे कोई राशि उधार नहीं ली थी। इन्होंने मेरी रिश्तेदार सीमा देवी के कृषि कनैक्शन पेटे ट्रांसफार्मर व डी.ओ. दिलवाने की एवज में मेरे से 1000/– रूपये रिश्वत के प्राप्त किये हैं। मेरा इनसे कोई उधारी का लेन–देन नहीं है। इन्होंने पूर्व में भी दो बार 5–5 हजार रूपये व 5 किलो घी भी लिया था। मौजूदा गवाह श्री धर्मेन्द्र चौहान ने बताया कि इस कमरे के गेट के पास गेलेरी में मैं व रतन सिंह कानि. खड़े थे, परिवादी कमरे में गया, कमरे का आधा गेट बंद था इसलिए मुझे परिवादी व आरोपी मुबारक अली के मध्य हुई वार्ता की कुछ गतिविधि दिखाई दे रही थी, कुछ समय बाद परिवादी बाहर आया तथा मोबाईल से घंटी कर रहा था। तुरन्त ही आप उपस्थित आ गये। श्री रतन सिंह कानि. ने भी गवाह श्री धर्मेन्द्र चौहान के अनुसार ही कथन किये। रिश्वती राशि लेन–देन की ताईद होने पर आरोपी श्री मुबारक अली के बांया व दाहिना हाथ कलाईयों से ऊपर क्रमशः श्री रतन सिंह कानि. व श्री हरिराम कानि. से पकड़वाये गये। श्री नरेन्द्र कुमार हैड कानि. के जरिए ट्रेप बॉक्स मंगवाया जाकर दो कांच के गिलासों को साफ धुलवाकर साफ पानी भरवाया जाकर सोडियम कार्बोनट पाउडर का घोल तैयार किया गया जो सभी हाजरीन ने रंगहीन होने की ताईद की। रंगहीन घोल के एक गिलास में श्री मुबारक अली के बांये हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो घोवन का रंग हल्का गुलाबी प्राप्त हुआ, जिसे दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाकर सीलचिट कर मार्क एल–1, एल–2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात दूसरे रंगहीन घोल के गिलास में श्री मुबारक अली के दांये हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग मटमैला प्राप्त हुआ, जिसे दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाकर सीलचिट कर मार्क आर–1, आर–2 अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात श्री मुबारक अली को रिश्वती राशि पेश करने के निर्देश देने पर श्री मुबारक अली ने बताया कि मेरी पेंट की सामने की बांयी जेब में हैं आप निकलवा लो, जिस पर स्वतंत्र गवाह श्री हरिराम तिवाड़ी से आरोपी मुबारक अली के पहनी हुई जींस पेंट की सामने की बांयी जेब की तलाशी करवाई तो जेब से 500–500, 200–200, 100–100 रूपये के नोट मिले। 500–500 के दो नोट एक जगह व शेष नोट एक थेई में अलग से पाये गये। दोनों गवाहान से पूर्व से बनी फर्द पेशकसी से नोटों के नंबरों का मिलान करवाया गया तो गवाहान ने मिलान करके 500–500 रूपये के दो नोटों के नंबर हूबहू फर्द के अनुसार होना बताये। नोटों के नंबर फर्द में अंकित कर बतौर वजह सबूत सील चिट कर कब्जा एसीबी लिया गया। उक्त राशि के अलावा 500–500 रूपये के चार नोट व 200–200 रूपये के दो नोट व 100–100 रूपये के दो नोट कुल 2600/–रूपये मिले, जिसके संबंध में पूछने पर श्री मुबारक अली ने बताया कि साहब आज मेरे बच्चे का जन्मदिन है, इसलिए मिठाई वगैरा लाने के लिए घर से लेकर आया था। उक्त राशि 2600/–रूपये गवाह श्री हरिराम तिवाड़ी के पास रहने दी गई। आरोपी मुबारक अली के लिए एक पेंट की व्यवस्था करवाकर पहनी हुई पेंट को उतरवाया गया। एक साफ कांच के गिलास में सोडियम कार्बोनेट का

घोल तैयार करवाया गया, जो हाजरीन ने रंगहीन होने की ताईद की। रंगहीन घोल के गिलास में आरोपी मुबारक अली की उतरवाई गई जींस पेंट बरंग नीली की सामने की बांयी जेब को उल्टवाकर डूबोकर धोवन लिया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी प्राप्त हुआ, जिसे दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरकर सीलचिट कर मार्क पी–1, पी–2 अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। उक्त जींस की पेंट बरंग नीली की जेब को सूखाकर पेंट को धागे में पीरोकर पेंट की जेब पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये सील किया गया। आरोपी मुबारक अली से सीमा देवी के कृषि कनैक्शन से संबंधित पत्रावली बाबत पूछने पर श्री मुबारक अली ने अपनी टेबल से एक पत्रावली सीमादेवी पत्नी श्री मूलाराम जाट, गांव किशनासर की कृषि कनैक्शन की पेश की तथा बताया कि कनिष्ठ अभियंता शहर जोधपुर डिस्कॉम लूणकरणसर से सीमादेवी के कृषि कनैक्शन की पत्रावली दिनांक 03.02.2022 को सर्विस कनैक्शन जारी करने के लिये मुझे प्राप्त हुई थी, जिस पर सहायक अभियंता श्री रामकुमार विश्नोई द्वारा उसी दिन एससीओ (सर्विस कनैक्शन ऑर्डर) जारी करने हेतु पत्रावली मार्क कर मुझे दी थी, जिस पर मेरे द्वारा उसी दिन एससीओ तैयार कर सहायक अभियंता श्री रामकुमार विश्नोई के हस्ताक्षर हेतु मैंने दिनांक 04.02.2022 को दोपहर बाद उनके कक्ष में रख दी थी। जो बाद सहायक अभियंता के हस्ताक्षर के दिनांक 05.02.2022 को सुबह मुझे प्राप्त हुई। यह पत्रावली मुझे स्टोर में देनी थी, जहां से एससीओ के आधार पर ट्रांसफार्मर जारी होना था। पत्रावली मेरे द्वारा अभी तक स्टोर में नहीं भिजवाई गई है। दिनांक 04.02.2022 को श्री मुरलीधर मेरे पास शाम को आया था, तो मैंने उसको कहा कि आपकी फाईल पर साईन नहीं हुई हैं, साहब साईट पर गये हैं। पत्रावली का अवलोकन किया तो बुक नंबर 4605, पेज नंबर 92, दिनांक 03. 02.2022 में एससीओ तैयार कर सहायक अभियंता के हस्ताक्षर किये हुए हैं। घटनास्थल संबंधी नक्शा तैयार किया जाकर विवरण घटनास्थल दर्ज किया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाए गए। ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त की गई पीतल की सील की फर्द नमूना सील मुर्तिब की गई तथा आरोपी को जुर्म से आगाह कर गिरफतार किया गया। परिवादी के कार्य से संबंधित पत्रावली की प्रमाणित प्रति प्राप्त की गई। वक्त लेनदेन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट व डीवीडी तैयार कर मूल मेमोरी कार्ड को भी सील चिट किया गया। आरोपी के कार्यस्थल कक्ष संख्या 6 को सरसरी चैक किया गया परंतु कोई आपत्तिजनक वस्तु प्रापत नहीं हुई। ट्रैप कार्यवाही में प्रयुक्त की गई पीतल की सील को अनुपयोगी कर नष्ट किया गया। मौके की संपूर्ण कार्यवाही पूर्ण कर सील्डशुदा वजह सबूत हमराह लेकर मय गिरफ्तारशुदा अभियुक्त मुबारक अली दोनों स्वतंत्र गवाह एवं हमराही सभी ब्यूरो स्टाफ के जरिये सरकारी व निजी वाहन से बीकानेर के लिए रवाना होकर वक्त 11:15 पीएम पर कार्यालय हाजा पहुंचा। वजह सबूत श्री बजरंग सिंह हैड कानि के सुरक्षित मालखाना में जमा करवाए गए। दोनों गवाहों को कार्यवाही से रुखसत किया गया। आरोपी को रात्रि में थाना सदर की हवालात में जमा करवाया गया। आज दिनांक 08.02.2022 को अभियुक्त मुबारक अली को माननीय सेशन न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम बीकानेर में पेश किया जा रहा है।

इस प्रकार उपरोक्त घटनाक्रम से पाया गया कि श्री मुरलीधर पुत्र श्री बीरबलराम, जाति जाट, उम्र 34 वर्ष, निवासी गांव किशनासर, तहसील लूणकरणसर, जिला बीकानेर के द्वारा पॉवर ऑफ एटॉर्नी की हैसियत से अपनी रिश्तेदार श्रीमती सीमा पत्नी मूलाराम जाट, साकिन गुसाईसर छोटा, जिला बीकानेर हाल रोही किशनासर, तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर के कृषि कनैक्शन शिफ्टिंग की पत्रावली संख्या कृषि रीओपन 77 के कृषि कनैक्शन पेटे कार्यालय सहायक अभियंता (वितरण) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, लूणकरणसर जिला बीकानेर से सर्विस कनेक्शन ऑर्डर जारी करवाने, जिसके आधार पर ट्रांसफार्मर जारी होना था, के लिए अभियुक्त मुबारक अली द्वारा परिवादी श्री मुरलीधर से पूर्व में 10,000/– रूपये व घी रिश्वत स्वरूप प्राप्त किये गये एवं सत्यापन के दौरान 1000/– रूपये रिश्वत की मांग कर वक्त ट्रेप 1000/–रूपये रिश्वत राशि प्राप्त की गई। ट्रेप कार्यवाही के दौरान आरोपी के बायें हाथ के लिए गए धोवन का रंग हल्का गुलाबी व दाहिने हाथ का मटमैला प्रापत हुआ। रिश्वती राशि आरोपी के पहनी हुई जींस पेंट की सामने की बांयी जेब से बरामद हुई तथा पेंट की जेब का धोवन हल्का गुलाबी प्रापत हुआ। उपरोक्त घटनाक्रम से अभियुक्त मुबारक अली, वाणिज्यक सहायक प्रथम, कार्यालय सहायक अभियंता (वितरण) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, लूणकरणसर, जिला बीकानेर का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 के तहत घटित होना पाया जाता है। अतः अभियुक्त मुबारक अली पुत्र श्री मोहम्मद आमीन, जाति मुसलमान, आयु 35 वर्ष, निवासी गली नंबर 13, धोबी तलाई, रानी बाजार, बीकानेर हाल वाणिज्यक सहायक प्रथम, कार्यालय सहायक अभियंता (वितरण) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, लूणकरणसर, जिला बीकानेर के विरूद्ध उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी एफआईआर कता कर वास्ते कमांकन एवं पंजियन हेतु श्रीमान महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवा में सादर प्रेषित है।

(आनन्द मिश्रा)
पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
बीकानेर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री आनन्द मिश्रा, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 में अभियुक्त श्री मुबारक अली, वाणिज्यक सहायक प्रथम, कार्यालय सहायक अभियंता(वितरण) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड लूणकरणसर, बीकानेर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 36/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

8/2/2022

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर।

क्रमांकः 341-45 दिनांकः 8.2.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बीकानेर।
2. अतिक्ति महानिदेशक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. सम्भागीय मुख्य अभियंता(बीकानेर जोन) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, बीकानेर।
4. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर।

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर।